



सत्यमेव जयते

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

द्वितीय तल, नया सचिवालय, विकास भवन, बेली रोड, पटना-800015
दूरभाष :- 0612-2215895, वेबसाइट- krishi.bih.nic.in ई-मेल- diragri-bih@nic.in, diragri.bih@gmail.com.



बिहार सरकार

संचिका/पत्र सं०-उ०को०(विविध)-०१ | 2013-2648 क०, पटना, दिनांक-०१.११.२०२१
कार्यालय आदेश

भारत सरकार के राजपत्र सं०-3141 दिनांक-25.09.2019 द्वारा उर्वरक अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि 3 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष की गई है। भारत सरकार के उपर्युक्त राजपत्र के आलोक में उर्वरक प्रतिष्ठान जिनकी अनुज्ञप्ति 25.09.2019 के पूर्व निर्गत है एवं (राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय) अनुज्ञप्ति की वैधता तिथि दिनांक 25.09.2019 के पश्चात् समाप्त हुई है अथवा होने वाली है, उन अनुज्ञप्तियों में अंकित वैधता तिथि 3 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष के लिए मान्य समझी जायेगी। उदाहरण स्वरूप-यदि किसी प्रतिष्ठान को तीन वर्ष हेतु अनुज्ञप्ति दी गई तथा उसकी वैधता 30.03.2020 को समाप्त हो रही है तो उसे दो वर्ष अतिरिक्त अथवा 30.03.2022 तक के लिए वैध माना जायेगा।

2. दिनांक 25.09.2019 के बाद निर्गत अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि 5 वर्ष होने के मद्देनजर उन अनुज्ञप्तियों की वैधता तिथि वही होगी जो अनुज्ञप्ति में अंकित है।

3. पाँच(5) वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् वैधता तिथि समाप्त होने पर प्रतिष्ठान/संस्था द्वारा अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु पुनः आवेदन करना अनिवार्य होगा।

4. अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु अस्वीकृत आवेदनों एवं रद्द अनुज्ञप्ति के मामलों में यह आदेश प्रभावी नहीं होगा।

5. उर्वरक अनुज्ञप्ति से संबंधित अन्य शर्तें उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 एवं अन्य प्रवृत्त प्रावधानों के अनुसार होगी।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।